Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में यू.आई.टी. के कनिष्ठ लिपिक सहित दो संविदाकर्मी 32 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 फरवरी, सोमवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) अलवर के कनिष्ठ लिपिक मुकेश कुमार सहित दो संविदाकर्मीयों को परिवादी से 32 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भूखण्ड का पट्टा जारी करने की एवज में नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) अलवर के कनिष्ठ लिपिक मुकेश कुमार व सहयोगी संविदाकर्मीयों द्वारा 32 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की अलवर इकाई के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्री प्रेमचन्द पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री हरदयाल चौधरी निवासी मेहन्दी बाग मोहल्ला लाल डिग्गी चौराहे के पास जयपुर रोड अलवर, हाल कनिष्ठ लिपिक नियमन शाखा नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) अलवर व संविदाकर्मी नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री खूबीराम जाटव निवासी मकान नं0 105 स्कीम नं0 10बी अलवर, हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर संस्थापन शाखा नगर विकास न्यास अलवर तथा कमलेश सैनी पुत्र श्री डालचन्द सैनी निवासी सी–56 शक्ति नगर साहब जोहड़ा अलवर हाल सिक्योरिटी गॉर्ड संस्थापन शाखा नगर विकास न्यास अलवर को परिवादी से 32 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है जिसमें पट्टा शुल्क राशि 12 हजार भी सम्मिलित है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीगण से पूछताछ सहित निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।